जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/58 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 28 नवम्बर 2020

भाग-1

लाख शिकायतों के बावजूद, जे.डी.ए. के ज़ोन-10 में महज 15 दिनों में अवैध दुकाने बन कर तैयार, व्यवसायिक गतिविधियां चालु!!!

जे.डी.ए. के ज़ोन-10 में स्थित आवासीय भूखंड संख्या 50,मयूर विहार,जगतपुरा रोड,जयपुर पर महज 15 दिनों में बनी अवैध दुकानों में व्यवसायिक गतिविधियों चालू|

पता:-S1,झारखंड अपार्टमेंट,सगत सिंह मोड,जनरल सगत सिंह मार्ग,खातीपुरा-302012 मोबाइल:-9828346151

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

प्रथम सुचना रिपोर्ट		
1.	भूखंडो का पता	आवासीय भूखंड संख्या 50,मयूर विहार,जगतपुरा रोड जयपुर
2.	उल्लंघन की संभावित प्रकृति	बिना अनुमति,बिना नक़्शे पास करवाए बिना भवन विनियमों की पालना करवाए अवैध दुकानों का निर्माण एवं व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन
3.	सम्बंधित ज़ोन	जे.डी.ए. ज़ोन-10
4.	कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी(प्रवर्तन स्तर पर)	जे.डी.ए. के श्री श्री निवास जांगिड
5.	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	28/11/2020

जवाब मांगते सवाल?

1. क्या भवन मालिक द्वारा विधिक रूप से इन दुकानों के निर्माण हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा इस काम्प्लेक्स का सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया गया है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मापदंडों का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी गयी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड का यू.डी. टेक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यदि भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण में किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन कौन से अधिकारी है?
7. माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस जे.डी.ए. की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके है और उन्हें सार्वजनिक मंच पर कहना भी पड़ा कि जे.डी.ए. के अधिकारी ले-देकर पास-पास की ही एक बिल्डिंग को तो तोड़ देते है और एक को छोड़ देते है,क्या उनका यह सवाल जायज है?
8. यह मामला जे.डी.ए./नगर निगम के आला अधिकारियों के संज्ञान में आने के बावजूद यदि कोई कार्यवाही नहीं होती है और बिल्डिंग के अवैध निर्माण को आंच नहीं आती तो क्या सक्षम प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों का यह आचरण भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है?
9. क्या जे.डी.ए./नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार; में दिए गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
10. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध आज दिनांक तक कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है?क्यों उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?